HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous II Bail Application No. 3249/2026

Pappulal S/o Shri Laddulal, Aged About 45 Years, R/o Chaukadi, Police Station Chauth Ka Barwara, District Sawai Madhopur (Raj.) (Presently The Accused Petitioner Confined In District Jail, Sawai Madhopur).

----Petitioner

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajneesh Gupta Ms. Chanchal Sharma Mr. Utkarsh Goyal
For Respondent(s)	:	Mr. Amit Kumar Gupta, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

25/02/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय प्रार्थना–पत्र पुलिस थाना–चौथ का बरवाडा जिला–सवाई माधोपुर में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 151/2025 अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 115(2), 126(2), 189(2), 109(1), 117(2) बी.एन.एस. में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत का प्रार्थना–पत्र दिनांक 11.2.2026 को निरस्त किया गया था।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी–अभियुक्त का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.2026 को निरस्त होने के बाद प्रकरण में अब अन्वेषण पूर्ण किया जा चुका है तथा प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध तितम्बा आरोप पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है। उनका तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। पूर्व में जो आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, उसके निष्कर्षों में भी यह अंकित किया गया है कि प्रार्थी–अभियुक्त घटना कारित करने वालों में मौके पर

उपस्थित नहीं था। वह केवल घटना की योजना बनाने वालों में था। अब जो तितम्बा आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें भी यहीं निष्कर्ष अंकित किया गया हैं। उनका तर्क है कि प्रकरण में दो आहतगण मनेश व सोनू है, जिनके केवल हाथ व पांव पर चोटें आना पाया गया है, उनके शरीर के मार्मिक भाग पर चोट कारित नहीं हुई है। प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 10.1.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में है। उसके विरूद्ध पूर्व का एक आपराधिक मामला लम्बित है। उनका तर्क है कि प्रकरण के सभी अभियुक्तगण एक ही परिवार के सदस्य हैं और उक्त सभी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में अंकित करवाया गया है तथा मामला बढ़ा–चढ़ा कर प्रस्तुत करने *(Over implication)* का है। उनका तर्क है कि प्रकरण का सहअभियुक्त हरीश, जिसका वारदात में सक्रिय रूप से भाग लेना पाया गया है तथा जिसके आधिपत्य से लाठी भी बरामद हुई है, को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत की सुविधा दी जा चुकी है। जबकि प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुई है। प्रकरण की अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उसे जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध अनुसंधान से अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 115(2), 126(2), 189(2), 109(1), 117(2) बी.एन.एस. का अभियोग प्रमाणित पाया गया है। प्रकरण के आहत सोनू के दो तथा मनेष के पांच गंभीर प्रकृति की चोटें कारित होना पाया गया है। उक्त दोनों ही आहतगण ने धारा 180 बी.एन.एस.एस. के कथनों में प्रार्थी–अभियुक्त द्वारा उनके साथ मारपीट करना तथा घटना में सक्रिय रूप से भाग लेना स्पष्ट रूप से कहा है। उनका तर्क है कि अन्य अभियुक्त हरीश, जिसे इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा जमानत पर मुक्त किया गया है, का मामला प्रार्थी–अभियुक्त से भिन्न है। अतः यह जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाये।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। पूर्व में प्रार्थी–अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र दिनांक 11.2.2026 को निरस्त किए जाने तक प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण नहीं हुआ था। अब प्रकरण में अनुसंधान पूर्ण होकर प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध तितम्बा आरोप पत्र अपराध अन्तर्गत धारा 190, 191(2), 115(2), 126(2), 189(2), 109(1), 117(2) बी.एन.एस. में प्रस्तुत किया जा चुका है। प्रार्थी–अभियुक्त पर किसी आहत के मार्मिक अंग पर विशिष्ट चोट कारित करने का आक्षेप नहीं है। आहतगण सोनू व मनेश के किसी मार्मिक भाग पर चोट आना नहीं पाया गया है। प्रकरण के सहअभियुक्त हरीश को इस न्यायालय की समकक्ष पीठ द्वारा

जमानत पर मुक्त किया जा चुका है। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, प्रार्थी–अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उसे जमानत पर मुक्त कर दिया जाए।

(SHUBHA MEHTA),J

JITENDRA SINGH PANWAR /86